मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पर्यावास भवन, द्वितीय खण्ड पंचम तल, भोपाल

क्रमांक 22423/22/वि–12/ग्रा.स./ /2016 भोपाल, दिनांक– 01, नवम्बर, 2016

प्रति,

समस्त महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, म.प्र.

विषय– माइल स्टोन की उपलब्धि के संबंध में जानकारी भेजने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत पूर्व में आपको जो प्रपत्र प्रेषित किया गया है उसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 12 महिने की समयावधि वाले ठेकों में 4 माइल स्ओन अचीव करना होंगे, उसी के अनुरूप प्रथम 3 माह में कितना काम किया जाना उसे कॉलम 8 में दर्शाया जाये तथा प्रथम 6 माह में पूर्व के 3 माह का कार्य सम्मिलित करते हुए कितना कार्य किया जाना था, इसे कॉलम 10 में दर्शाया जाये तथा प्रथम 3 माह में की गई उपलब्धि को कॉलम 9 में दर्शाया जाये तथा प्रथम 6 माह में पूर्व के 3 माह की उपलब्धि को जोड़ कर कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई उसे कॉलम 11 में दर्शाया जाये, जो इस तरह 9 माह एवं 12 माह में किये जाने वाले कार्य तथा उसके विरूद्ध उपलब्धि संचित रूप से दर्शाया जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि 3 माह, 6 माह, 9 माह अथवा 12 माह पूर्ण नहीं हुए तो भी जिस माह की जानकारी भेजी जा रही है उस माह तक की उपलब्धि दर्ज करें। कार्यादेश के दिनांक से यह आंकलन मुख्यालय पर कार्यादेश की दिनांक देख कर कर लिया जायेगा कि यह उपलब्धि कितनी कितने माह की है कार्यादेश कॉलम की जानकारी में DD/MM/y से ही जानकारी भरी जाये अर्थात् 25/02/2016 कार्यादेश दिनांक इस तरह भरा जाये ताकि यह Filter अथवा Shorting करने में सुविधा हो।

इसके अलावा जिन अनुबंधों में 18 माह का कार्य समय है उसमें 6 क्वाटर माइल स्ओन के होंगे तथा जिन अनुबंधों में 24 माह का समय है उनमें 8 क्वाटर होंगे उसकी के अनुरूप 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह, 15 माह, 18 माह, 21 माह एवं 24 माह समय की होगी तथा किये जाने वाले कार्य की जानकारी दी जाएगी, उसके लिये प्रपत्र को संशोधित कर आपको भेजा जाएगा। क्योंकि अभी जो जानकारी चाही जा रही है, वह जानकारी के पश्चात् के कार्यादेशों की जानकारी चाही जा रही जिसमें 12 माह पूर्ण नहीं हुए हैं जो अनुबंध 12 माह से अधिक की समयावधि के हैं ऐसे अनुबंधों में 15 वें माह का किये जाने वाले कार्य तथा उसकी उपलब्धि एवं आगे के माहों में किये जाने वाले कार्य तथा उपलब्धि के लिये संलग्न प्रपत्र अनुसार होंगे। इन प्रपत्रों का उपयोग जनवरी, 2017 के पश्चात् ही आवश्यक होंगे। कृपया अक्टूबर तक की जानकारी लौटती डाक/मेल से प्रेषित करें।

संलग्न– प्रपत्र–3

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्रमांक 22424/22/वि–12/ग्रा.स./ /2016 भोपाल, दिनांक– 01, नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि–

1– समस्त मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2– महाप्रबंधक (समन्वय), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3– प्रबंधक (आईटी), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण